

हिमाचल प्रदेश सरकार
“निर्वाचन विभाग”

....

संख्या: 5-22/2009-ई.एल.एन., तारीख: शिमला-171009,

21 जुलाई, 2010.

अधिसूचना

प्रशासनिक सुधार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: पीईआर (एआर) ए (4) 1/2007, दिनांक 25 जून, 2007 तथा पीईआर (एआर) एफ (7)- 2/98-मिस., दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, निर्वाचन विभाग द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2009-2010 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा 1 (बी) में दर्शाए गए 17 बिन्दुओं पर आधारित समस्त सूचना को सम्मिलित करके दिनांक 3 जुलाई, 2010 को विभागीय वैबसाईट <http://ceohimachal.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निर्वाचन विभाग की वैबसाईट <http://ceohimachal.nic.in> पर अपलोड विभाग की “वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2009-2010” को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से जन-साधारण जानकारी हेतु अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश दिये जाते हैं।

आदेश द्वारा,
सचिव (निर्वाचन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।